त्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल
वलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड

upsidc

यूपीएसआईडीसी कॉम्पलेक्स
A-1/4, लखनपुर
पोस्ट बाक्स नं. 1050
कानपुर – 208 024
दूरभाष : 2582851-53 (PBX)
फैक्स : 0512-2580797
वेबसाइट: www upsidc com
ई.मेल : feedback@upsidc.com
सिन : U26960UP1961SGC002834

सं0सं0: 87-139/ एसआईडीसी / पीएम / फेसिलिटीज

दिनांक 20-06-2017

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 के निदेशक मण्डल की 295वीं बैठक दिनांक 29.05.2017 के निर्णयानुसार निगम द्वारा नव विकसित / विकासाधीन औद्योगिक क्षेत्रों में अग्निशमन केन्द्र हेतु भूमि का आवंटन / भूमि आरक्षित करने हेतु पूर्व कार्यालय आदेश संख्या 414–464 / एसआईडीसी / पीएम / कॉस्टिंग सेल / फेसिलिटीज दिनांक 16.11.2009 के द्वारा निर्धारित नीति को आंशिक संशोधित करते हुये निम्नलिखित नीति निर्धारित की जाती है:–

क्र0सं0	अवस्थापना सुविधा	नीति
1.	फायर स्टेशन	1000 से 4148 वर्ग मीटर तक भूमि निःशुल्क तथा 4148 वर्ग मीटर से अधिक भूमि की मांग के आंकलन के आधार पर औद्योगिक दर पर आवंटन। उपरोक्त के अतिरिक्त निगम द्वारा विकसित किये जाने वाले नये औद्योगिक क्षेत्रों की लागत गणना में अग्निशमन केन्द्र की मांग एव आवश्यकतानुसार पूर्व में स्वीकृत भवन निर्माण इत्यादि के मद में रू0 217 लाख के स्थान पर शासनादेश संख्या 1285 / छः–पु–8–2016–801 (69)–2015 दिनांक 08.07.2016 के अनुसार अधिकतम रू0 321.91 लाख की धनराशि का प्राविधान किया जायें।

निदेशक मण्डल के उक्त निर्णय को तत्काल प्रभाव से प्रभावी किया जायें।

भवदीय,

(रणवीर प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक

सं0सं0: / एसआईडीसी / पीएम / फेसिलिटीज दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वैयक्तिक सहायक, प्रबन्ध निदेशक कैम्प, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0, मुख्यालय, कानपुर।
2. समस्त अनुभाध्यक्ष, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0, मुख्यालय, कानपुर।
3. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक / परियोजना अधिकारी, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0, ...
4. समस्त अधिशाषी अभियन्ता, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0, ...
5. गार्ड फाइल।

(रणवीर प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल
डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड

365
23/6/17

UPSIDC

[illegible]
A-1/4, लखनपुर
पोस्ट बॉक्स नं. 1050
कानपुर – 208 024
दूरभाष 2582851-53 (PBX)
फैक्स 0512-2580797
वेबसाइट www.upsidc.com
ई मेल feedback@upsidc.com
सिन U26960UP1961SGC002834

सं0सं0: /एसआईडीसी/पीएम/फेसिलिटीज दिनांक

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 के निदेशक मण्डल की 295वीं बैठक दिनांक 29.05.2017 के निर्णयानुसार निगम द्वारा नव विकसित/विकासाधीन औद्योगिक क्षेत्रों में अग्निशमन केन्द्र हेतु भूमि का आवंटन/भूमि आरक्षित करने हेतु पूर्व कार्यालय आदेश संख्या 414-464/एसआईडीसी/पीएम/कॉस्टिंग सेल/फेसिलिटीज दिनांक 16.11.2009 के द्वारा निर्धारित नीति को आंशिक संशोधित करते हुये निम्नलिखित नीति निर्धारित की जाती है:-

क्र0सं0	अवस्थापना सुविधा	नीति
1.	फायर स्टेशन	1000 से 4148 वर्ग मीटर तक भूमि निःशुल्क तथा 4148 वर्ग मीटर से अधिक भूमि की मांग के आंकलन के आधार पर औद्योगिक दर पर आवंटन। उपरोक्त के अतिरिक्त निगम द्वारा विकसित किये जाने वाले नये औद्योगिक क्षेत्रों की लागत गणना में अग्निशमन केन्द्र की मांग एवं आवश्यकतानुसार पूर्व में स्वीकृत भवन निर्माण इत्यादि के मद में रू0 217 लाख के स्थान पर शासनादेश संख्या 1285/छः-पु-8-2016-801(69)-2015 दिनांक 08.07.2016 के अनुसार अधिकतम रू0 321.91 लाख की धनराशि का प्राविधान किया जायें।

निदेशक मण्डल के उक्त निर्णय को तत्काल प्रभाव से प्रभावी किया जायें।

भवदीय,

(रणवीर प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक

सं0सं0: 115/एसआईडीसी/पीएम/फेसिलिटीज दिनांक 20-06-2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. वैयक्तिक सहायक, प्रबन्ध निदेशक कैम्प, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0, मुख्यालय, कानपुर।
2. समस्त अनुभागाध्यक्ष, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0, मुख्यालय, कानपुर।
3. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0, ...
4. समस्त अधिशाषी अभियन्ता, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0, ...
5. गार्ड फाइल।

(रणवीर प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक

Scanned with CamScanner

संख्या: 2/ 2016/ 1285/ छः-पु-8-2016-801(69)/ 2015

प्रेषक,

देवाशीष पण्डा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।
2. पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश फायर सर्विस,
लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-8 लखनऊः दिनांक 08 जुलाई, 2016

विषयः प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विभिन्न श्रेणी के अग्निशमन केन्द्रों की स्थापना हेतु अग्निशमन केन्द्र श्रेणी-ए, अग्निशमन केन्द्र श्रेणी-बी एवं अग्निशमन केन्द्र श्रेणी-सी के मानकीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

अग्निशमन केन्द्रों की स्थापना के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2469/ छः-पु0-8-07-33(विविध)/ 07, दिनांक 24.10.2007 में ए-श्रेणी, बी-श्रेणी, सी-श्रेणी तथा तहसील एवं कस्बे के अग्निशमन केन्द्रों के लिये मानक निर्धारित किये गये हैं।

2. प्रदेश में वर्तमान समय में शहरी क्षेत्रों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि एवं औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप आवासीय कालोनियों/ बहुखण्डी भवनों के निर्माण के साथ-साथ अग्निशमन दायित्वों में भी अत्यधिक वृद्धि परिलक्षित हुई है। अतः वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं के दृष्टिगत अग्निशमन केन्द्रों के लिये पारम्परिक एवं आधुनिक तकनीक के मशीनों एवं उपकरणों के लिये आवश्यक गैराज प्रशासनिक भवन, ब्रीदिंग आपरेट्स सेट, स्टोर, फायर प्रोक्सिीमिटी सूट, फौम कम्पाउन्ड आदि की नितान्त आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त अन्य विभिन्न अग्निशमन यंत्रों के लिये कन्ज्यूमेबुल उपकरणों के स्टोर के साथ-साथ अग्निशमन अधिकारियों एवं कर्मियों के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु अग्निशमन केन्द्र श्रेणी-ए, अग्निशमन केन्द्र श्रेणी-बी तथा अग्निशमन केन्द्र श्रेणी-सी के भवनों के निर्माण हेतु वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार न्यूनतम भूमि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with CamScanner

क्षेत्रफल एवं आच्छादित क्षेत्रफल के अनुसार अनुमानित लागत निम्नवत् उद्धरित तालिकानुसार निर्धारित किया जाता है:-

क्र0 सं0	श्रेणी	अनुमानित आवश्यक भूमि क्षेत्रफल (वर्गमी0 में)	अधिकतम निर्मित क्षेत्र (वर्गमी0 में)	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)		
				साधारण मृदा	काली कपासी मृदा	लवणयुक्त मृदा
1	2	3	4	5	6	7
1	अग्निशमन केन्द्र श्रेणी-'ए' (7 यूनिट)	7485	6198	601.78	618.72	627.21
2	अग्निशमन केन्द्र श्रेणी-'बी' (4/ 3 यूनिट)	5637	4600	436.97	449.19	455.29
3	अग्निशमन केन्द्र श्रेणी-'सी' (2 यूनिट)	4148	3038	309.48	317.77	321.91

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रस्तर-2 की तालिका के कालम-3 व 4 में उल्लिखित क्षेत्रफल के आधार पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में श्रेणी-ए (7 यूनिट), श्रेणी-बी (4/ 3 यूनिट) तथा श्रेणी-सी (02 यूनिट) के अग्निशमन केन्द्रों की स्थापना के लिये तालिका के कालम-5, 6 व 7 में उल्लिखित लागत पर मानकीकरण निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है:-

(1) निर्माण कार्य नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही प्रारम्भ कराया जाय।

(2) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/ सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित उच्च विशिष्टियों यथा-स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग एवं एक्सटर्नल स्टोन टाइल वर्क क्लेडिंग आदि के सम्बन्ध में अपना मत स्थिर करके ही निर्माण कार्य सुनिश्चित कराया जाय।

(4) प्रायोजनान्तर्गत डी0जी0 सेट हेतु बजटरी आफर/ कोटेशन के आधार पर लागत प्रस्तावित की गयी है। अतः क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करेंगे। चूंकि यह

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with CamScanner

प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः अपेक्षित है कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

(5) प्रायोजना प्रस्ताव/ आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर किया गया है। अतः इस मानकीरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों के आधार पर स्वीकृत प्रायोजना का सम्बन्धित जनपद के एस0ओ0आर0 पर विस्तृत आगणन गठित कराया जाय एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यदायी संस्था के सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(6) मुख्य अभियंता (भवन), लोक निर्माण विभाग के पत्र संख्या-390जी/ 5बीपी0विंग/ 2016, दिनांक 22.03.2016 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) इस मानकीकरण के आधार पर वित्तीय स्वीकृति उन्हीं प्रायोजनाओं हेतु जारी की जायेगी, जिन प्रायोजनाओं हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध हो।

4. अतएव उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए अपने-अपने अधीनस्थों को प्रभावी निर्देश देने का कष्ट करें। इसके साथ आवासीय/ अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित ड्राइंग/ डिजाइन की प्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-12-767/ दस-2016, दिनांक 08 जुलाई, 2016 द्वारा प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(देबाशीष पण्डा)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, न्याय, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with CamScanner

3. प्रमुख सचिव, नियोजन, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
6. अपर पुलिस महानिदेशक (स्थापना), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ विकास प्राधिकरण/ आवास विकास परिषद/ यू0पी0एस0आई0डी0सी0, उत्तर प्रदेश।
10. गृह विभाग के समस्त अनुभाग। (पुलिस) अनुभाग-7
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/ नियोजन अनुभाग-4/ लोक निर्माण अनुभाग-5
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(वी0 पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल
डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड

upsidc

यूपीएसआईडीसी कम्पलेक्स
A-1/4, लखनपुर
पोस्ट बाक्स न. 1050
कानपुर – 208 024
दूरभाष 582851-53 (PBX)
फैक्स 0512-580797
वेबसाइट www.upsidc.com
ई-मेल feedback@upsidcltd.com

संदर्भ सं. 414-464/एसआईडीसी/पीएम/कॉस्टिंग सेल/फेसिलिटीज दिनांक 16-11-09

—: कार्यालय आदेश :—

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 के निदेशक मण्डल की 267 वीं बैठक दिनांक 24.9.2009 में औद्योगिक क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के लिये भूमि आरक्षित करने हेतु पूर्व प्रचलित नीति को निष्प्रभावी करते हुये निम्नलिखित नीति निर्धारित की गयी है :—

कम सं0	अवस्थापना सुविधा	नीति
1.	33/11 के वी विद्युत सब स्टेशन	2000 वर्गमी0 तक भूमि निःशुल्क तथा इस सीमा से अधिक भूमि की मांग का आंकलन के आधार पर औद्योगिक दर पर आवंटन
2.	132/33 के वी विद्युत सब स्टेशन	माग के अनुसार आकलन करते हुये औद्योगिक दर पर आवंटन ।
3.	फायर स्टेशन	1000 से 3000 वर्गमी0 तक भूमि निःशुल्क तथा 3000 से अधिक भूमि की माग का आंकलन के आधार पर औद्योगिक दर पर आवंटन ।
4.	दूर सचार केन्द्र	माग के अनुसार आकलन करते हुये औद्योगिक दर पर आवंटन ।
5.	राज्य कर्मचारी बीमा(इ0एस0आई0) अस्पताल/डिस्पेन्सरी	माग के अनुसार आकलन करते हुये औद्योगिक दर पर आवंटन ।

निदेशक मण्डल के उक्त निर्णय को तत्काल प्रभाव से प्रभावी किया जाय ।

(एस0 के वर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

संदर्भ सं. 414-464/एसआईडीसी/पीएम/कॉस्टिंग सेल/फेसिलिटीज दिनांक 16-11-09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0, मुख्यालय,कानपुर ।
2. व्यैक्तिक सचिव,संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0,मुख्यालय,कानपुर ।
3. समस्त अनुभागाध्यक्ष, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0,मुख्यालय, कानपुर ।
4. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0,
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0,
6. गार्ड फाइल ।

(तपेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त प्रबन्ध निदेशक

Scanned with CamScanner